


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शा.शि./जी/02/2009/438
प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण
शिक्षा संभाग मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।



भोपाल, दिनांक 13/8/09

विषय:-सरस्वती शिशु मंदिर/ शिक्षा संस्थान को क्रीडा शुल्क की राशि के अंशदान से छूट प्रदान करने बाबत ।

००००

प्रादेशिक सचिव, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1116/2008 दिनांक 14.2.2009 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा वर्ष 2006-07 से विद्या भारती को पृथक यूनिट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । इसके पारेणाम स्वरूप विद्या भारती संगठन द्वारा उनके अधीनस्थ संचालित/संबद्ध सरस्वती शिशु मंदिर/ शिक्षा संस्थान के छात्र/छात्राओं के लिए जिला/संभाग/ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का पृथक से आयोजन कर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है ।

अतः विद्या भारती द्वारा संबद्ध सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश द्वारा संचालित उपरोक्तानुसार शालाओं से क्रीडा शुल्क के अंशदान की राशि न ली जावे

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/शा.शि./जी/02/2009/439
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/8/09

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर टीप क्र0 2242/मं/स्कू.शि./उ. शि./तक.शि./0 दिनांक 4.8.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रादेशिक सचिव, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश, प्रांतीय कार्यालय हर्षवर्धन नगर, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 1116/2008 दिनांक 14.2.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश